


01.04.2025:-पत्रावली आज प्रार्थी श्री राजेशदीप राय के द्वारा प्रार्थना पत्र करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी अपने नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र में जारी स्थगन आदेश दिनांक 18.09.2024 को नोटप्रेस में खारिज करवाना चाहते हैं इसलिए अपना प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी अधिवक्ता का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का अधिकार को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र में जारी स्थगन आदेश दिनांक 18.09.2024 को वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

  
सहस्यक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

